(57)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : डा0 मधु खरे

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2770–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर प्रकरण कमांक 82/अ–6/2011–12.

श्यामा सिंघानिया पत्नी स्व0 विजय सिंघानिया
निवासी न्यू गांधी चौक शहडोल तहसील एवं
जिला शहडोल

------आवेदिका

विरूद्ध

1. श्रीमती बेलाबाई पत्नी जियालाल पटेल
   निवासी ग्राम दुलहरा तहसील व जिला अनूपपुर
2. भीकमचंद पुत्र नत्थूलाल मारवाड़ी
   निवासी कोतमा तहसील जिला अनूपपुर
3. श्रीमती पुष्पा सिंघानिया
   निवासी न्यू गांधी चौक शहडोल तहसील एवं
   जिला शहडोल
4. श्रीमती प्रेमा अग्रवाल
   निवासी ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा जिला कोरबा
5. श्रीमती रमा सिंघानिया
   निवासी न्यू गांधी चौक शहडोल तहसील एवं
   जिला शहडोल
6. श्रीमती सुधा कनोड़िया
   निवासी वंदना साड़ी निकेतन सतना जिला सतना

------अनावेदकगण

- - - - - -

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदिका

श्री आ0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

- - - - - -

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 19 नवम्बर 2015)

— — — — —

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर के आदेश दिनांक 21—6—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेपमेंइस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 शांतीबाई पटेल द्वारा पटवारी हल्का झाईताल की भूमि आराजी ख0क0 271 रकवा 5.99 एवं खरा नं. 232 रकवा 2.25 कुल 2 किता रकबा 8.24 एकड़ रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन नायब तहसीलदार तहसील जैतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने दिनांक 30—8—2010 को प्रकरण दर्ज किया जाकर इस्तहार जारी करने एवं अनावेदक तलब करने के आदेश दिये। आवेदिका ने कार्यवाही के दौरान सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित रखने बावत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21—6—2012 के द्वारा निरस्त किया तथा प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु नियत किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 85, 227, 284 आवेदक के पूर्वजों की एवं संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसे परिवार के एक व्यक्ति को विकय करने का अधिकार नहीं था, परन्तु विवादित भूमि को अनावेदक कं. 1 एवं अन्य अनावेदकों के पिता नत्थूलाल ने अनावेदक कमांक 1 को विकय कर दिया जिसके आधार

पर अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में व्यवहारवाद कमांक 8—ए/2012 प्रस्तुत किया जो सुनवायी हेतु लंबित है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाये, परन्तु तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर आवेदक ने व्यवहार न्यायालय के आदेश तक नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। व्यवहार न्यायालय का किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने से तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में उचित कार्यवाही की थी। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा जो व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था वह निरस्त हो चुका है और उसकी प्रथम अपील भी निरस्त हो चुकी है। मान0 उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रथम अपीलीय व्यवहार न्यायाधीश के आदेश को भी एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने से अब मान0 उच्च न्यायालय में अब वाद करने का समय बीत चुका है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक प्रकरण को मात्र लंबित रखने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहे हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाए।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक 1 शांतीबाई पटेल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने विधिवत इश्तहार जारी करने एवं अनावेदक को तलब करने के आदेश

दिये। तहसीलदार ने अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत नामांतरण कार्यवाही निरस्त करने संबंधी आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया कि सिविल वाद दायर होने से नामांतरण की कार्यवाही जो पूर्व से प्रचलित है समाप्त नहीं की जा सकती। तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश में निकाला गया निष्कर्ष अवैधानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि मात्र व्यवहार वाद दायर करने से किसी व्यक्ति के रजिस्टर्ड विक्रय से प्राप्त स्वत्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 08ए/2012 दिनांक 20–12–13 निरस्त किया जा चुका है। व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश को अपील में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 12ए/14 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2014 द्वारा स्थिर रखा गया है। आवेदिका व्यवहार न्यायालय से नामांतरण के संबंध में अपना हक को सिद्ध नहीं कर सकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रही है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार जैतहरी का आदेश दिनांक 21–6–12 यथावत रखा जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वे प्रकरण में तीन माह के अंदर नामांतरण प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर